(नकल हस्ताक्षरित)

प्रतिलिपि विभाग महोबा अभिलेखागार

# न्यायालय उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ जिला महोबा

वाद संख्या T201707480320 22 सन् 2017

मौजा पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा।

धारा 143 ज0 वि0 अधि0

हमीदिया इस्लामिया स्कूल समिति बनाम सरकार

## निर्णय

यह वाद हमीदिया इस्लामिया स्कूल समिति द्वारा प्रबन्धक मो0 नईम पुत्रश्री अब्दुल हकीम निवासी पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम पनवाड़ी स्थित गाटा संख्या 381 रकबा 0.316, गाटा संख्या 383 रकबा 0.308, गाटा संख्या 384 रकबा 0.028, गाटा संख्या 398 रकबा 0.150, गाटा संख्या 400 रकबा 0.150 तथा गाटा संख्या 401 रकबा 0.291 का संक्रमणीय भूमिधर है और मौके पर काबिज एवं दखील है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं कर रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि में कालेज का निर्माण हो गया है। प्रार्थी की उक्त भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 150–200 मीटर की दूरी पर सी0सी0 मार्ग से लगी हुयी है। जिस पर प्रार्थी के कालेज का निर्माण हो गया है। उपरोक्त भूमि का प्रयोग कृषि से असम्बद्ध प्रयोजन आबादी/कालेज के प्रयोग में ला रहा है अन्त में उक्त भूमि ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत आबादी/कालेज घोषित किये जाने की याचना की गयी।

तहसीलदार कुलपहाड़ से आख्या मांगी गयी तहसीलदार कुलपहाड़ द्वारा अपना जॉच आख्या दिनॉक 08/12/2017 को प्रस्तुत की। जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार कुलपहाड़ ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि जॉच में गाटा संख्या 383 रकबा 0.308 एवं गाटा संख्या 401 रकबा 0.291 पर हमीदिया इस्लामिया स्कूल समिति का भवन बना पाया गया। इस प्रकार उक्त भू–खण्ड पर अकृषिक कार्य हो रहा है। अतः

अकृषिक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

तहसीलदार कुलपहाड द्वारा नियम 135 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अर्न्तगत निर्मित प्रोफार्मा प्रस्तुत किया गया।

मैनें वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अनुशीलन किया तहसीलदार कुलपहाड़ की आख्या एवं नियम 135 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अर्न्तगत निर्मित प्रोफार्मा में वाद भूमि का उपयोग कृषि कार्य से भिन्न हमीदिया इस्लामिया स्कूल समिति भवन प्रयोजनार्थ बताया गया है। अतः वाद भूमि स्थित ग्राम पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

**आदेश**

अतः ग्राम पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ की खतौनी सन् 1421 फसली से 1426 फसली के गाटा संख्या 381 रकबा 0.316, गाटा संख्या 383 रकबा 0.308, गाटा संख्या 384 रकबा 0.028, गाटा संख्या 398 रकबा 0.150, गाटा संख्या 400 रकबा 0.150 तथा गाटा संख्या 401 रकबा 0.291 जो हमीदिया इस्लामिया स्कूल समिति भवन प्रबन्धक मो0 नईम पुत्र श्री अब्दुल हकीम निवासी पनवाड़ी परगना व तहसील कुलपहाड़ के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किया जाता है। एवं वाद भूमि को लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो इस आदेश की एक प्रति जिला निबन्धक महोबा के माध्यम से उपनिबन्धक कुलपहाड़ को प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

11-12-17

उपजिलाधिकारी,

कुलपहाड़

प्रतिलिपि विभाग * अभिलेखागार महोबा *

… का क्रमांक व दिनांक- 0347 18-2-18

… का दिनांक- 20-02-18

… दिनांक- 26-02-18

… रुपया- 1300

… फलप्राप्ति

… के हस्ताक्षर-

… के हस्ताक्षर-

TCF=1300

सत्यप्रतिलिपि

अभिलेखपाल

राजस्व

जनपद महोबा